कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)
जिला न्यायालय परिसर, रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771–2425944 फैक्स दूरभाष क्रमांक 0771–2420077
E-mail : dlsa. raipur@gmail.com

//आदेश//

क्रं. 25 / LADCS /2023 रायपुर दिनांक 13/06 /2024

इस कार्यालय के अंतर्गत लीगल एड डिफेन्स कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु सहायक/क्लर्क, के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 338/परीक्षा सेल रायपुर दिनांक 06–10–2023 के परिपेक्ष्य में भर्ती समिति रायपुर की अनुशंसा एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/LADCS-23/2024 बिलासपुर दिनांक 03–05–2024 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर **प्रतीक्षा सूची** के क्रमांक 01 में निम्नलिखित उम्मीदवार को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (स्टिनेरशिप) में उनके द्वारा **कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से दिनांक 30–04–2025 तक के लिए निर्धारित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :–**

प्रतिक्षा सूची उम्मीदवार

office Assistants / Clerks (कार्यालय सहायक/क्लर्क)

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम /पिता का नाम पता	पद	राशि
01	**श्री ओम प्रकाश साहू पिता हूबलाल साहू,** पता– मकान क्रमांक– 778/49, सुनिल किराना के पास हरि नगर एस.एफ. लाइन दुर्ग, पिन कोड नं.– 490022 मो0नं0–7869863875	**office Assistants / Clerks (कार्यालय सहायक/क्लर्क)**	20,000/– रूपये मानदेय

नियुक्ति की शर्ते:–

01– उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 05 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

02– चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा । शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

03– चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से यह प्रगट होता है कि पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो उक्त उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।

04– लीगल एड डिफेंस कौसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य /मुंशी की नियुक्ति पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल नालसा के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष के लिये दिनांक 01.05. 2024 से दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है।

05– लीगल एड डिफेंस कौसिल कार्यालय हेतु नियुक्त स्टॉफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल /20/2019–नालसा दिनांक 24 अगस्त 2022 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी अनुसार नियुक्त स्टॉफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक F.N./20/2019- NALSA दिनांक 11–02–2023 एवं पत्र

क्रमांक F.N./20/2019- NALSA दिनांक 14–02–2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यो को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेगें। यदि कार्य, व्यवहार तथा आचरण संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते है, तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी ऐसे स्टॉफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

06– लीगल एड डिफेन्स कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 में प्रावधानित अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेगें।

07– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No-L-27/2022- NALSA (Part File) /4678-4714 Dated 27th March ,2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा । उपरोक्त संविदा नियुक्ति में प्राप्त एकमुश्त भुगतान मानदेय (स्टिनेरशिप) के रूप में है, वेतनभोगी के रूप में नहीं है।

08– संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

09– यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध निवास पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही जिला न्यायालय रायपुर छ0ग0 के वेबसाईट D Raipur.courts.gov.in पर भी अपलोड़ की जा रही है , चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड़ करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते है।

अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायपुर जिला–रायपुर

क्रं. 712 / LADCS /2023 रायपुर दिनांक 13/06/2024

प्रतिलिपि :–

1– श्रीमान सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ।

2– अध्यक्ष भर्ती चयन समिति/चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर ।

3– सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ।

4– प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग जिला न्यायालय रायपुर को जिला न्यायालय रायपुर के वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।

5– श्री ओम प्रकाश साहू पिता हूबलाल साहू, पता– मकान क्रमांक– 778/49, सुनिल किराना के पास हरि नगर एस.एफ. लाइन दुर्ग, पिन कोड नं.– 490022 मो0नं0–7869863875 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायपुर जिला–रायपुर